दैनिक जागरण
पटना, 7 जनवरी 2019 | 13

बिल्डरों का मामला पहले रेरा के नियामक देखें : रियल्टी उद्योग

नई दिल्ली, प्रेट्र : रियल्टी उद्योग संघ नारेडको ने कहा कि बिल्डरों की चूक का मामला सबसे पहले नए रियल एस्टेट कानून रेरा से संबंधित नियामकों के पास जाना चाहिए, न कि इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। साथ ही नई परियोजनाओं से संबंधित विवादों की सुनवाई रेरा के तहत स्थापित नियामकों द्वारा की जानी चाहिए, न कि उपभोक्ता अदालतों द्वारा। नोरडको ने ये सुझाव पिछले सप्ताह हुई एक बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सामने रखे। यह बैठक रियल एस्टेट (रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट) एक्ट (रेरा) के तहत आ रही समस्याओं के निदान के लिए संबंधित पक्षों के सुझाव लेने के लिए बुलाई गई थी।